

राजस्व वाद संख्या 251/2012

पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना आर.ए.एस.

1. अर्जुनलाल पुत्र मूंगाराम
2. भीवाराम पुत्र मूंगाराम सैनी जाति माली निवासीगण कानाका वाली ढाणी तन नवलगढ तहसील नवलगढ

-वादीगण

- बनाम
1. गीगाराम
 2. जगदीश
 3. शिशपाल पुत्रगण मूंगाराम सैनी
 4. जैतलीदेवी पत्नी मूंगाराम समस्त जाति माली निवासीगण कानाका वाली ढाणी तन नवलगढ
 5. छोटी पुत्री मूंगाराम जाति माली निवासी कानाका वाली ढाणी तहसील नवलगढ
 6. नानू पुत्री मूंगाराम जाति माली निवासी कानाका वाली ढाणी
 7. विदामी पुत्री मूंगाराम जाति माली निवासी कानाका वाली ढाणी तन नवलगढ
 8. तहसीलदार तहसील नवलगढ जिला झुन्डुनू

- प्रतिवादीगण

वाद वाबत घोषणार्थ व विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

CA निर्णय

वाद वादीगण दिनांक 10.02.2017 को प्राथमिक को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ को मौका कमिशनर नियुक्त किया गया तथा मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने वाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भूअ./2017/2165 दिनांक 09.08.2017 प्रस्तुत किया जाने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने में कोई एतराज नहीं होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम ढाणिया कानाका वाली की भूमि ख.न. 639/0.06, 640/0.22 किता 2 कुल रकबा 0.28 है० का निभानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. अर्जुनलाल भीवाराम पिता मूंगाराम विदामी पुत्री मुंगाराम को भूमि ख.न. 640/1 रकबा 0.09 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. गीगाराम जगदीश शीशपाल पिता मूंगाराम जैतलीदेवी पत्नी मूंगाराम छोटी नानू पुत्रियां मांगूराम जाति माली को भूमि ख.न. 639/0.06, 640/0.05, 640/3/0.07 किता 3 कुल रकबा 0.18 है० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. भूमि ख.न. 640/2 रकबा 0.01 है० गै०मु० रास्ता का अर्जुनलाल भीवाराम पिता मूंगाराम विदामीदेवी पुत्री मूंगाराम हि० 3/9 गीगाराम जगदीश शीशपाल पिता मूंगाराम जैतलीदेवी पत्नी मूंगाराम छोटी नानू पुत्रियां मांगूराम हि. 6/9 जाति माली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तकमिल कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 15.09.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



दुर्गा प्रसाद मीना
 उपखण्ड अधिकारी
 नवलगढ

17
 (दुर्गा प्रसाद मीना)
 उपखण्ड अधिकारी
 नवलगढ
 नवलगढ

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
 अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास
 दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.
 दावा बाबत घोषणार्थ, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा सं०:- 251/2012 (अर्जुनलाल आदि बनाम गीगराम आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई -वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 15.09.2017 निर्णय अनुसार वाद वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन निर्णय का भाग रहेगा। ग्राम ढाणिया कानाका वाली की भूमि ख.न. 639/0.06, 640/0.22 किता 2 कुल रकबा 0.28 है0 का निम्नानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

1. अर्जुनलाल भीवाराम पिता मूंगाराम बिदामी पुत्री मुंगाराम को भूमि ख.न. 640/1 रकबा 0.09 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. गीगराम जगदीश शीशपाल पिता मूंगाराम जैतलीदेवी पत्नी मूंगाराम छोटी नानू पुत्रियां मांगाराम जाति माली को भूमि ख.न. 639/0.06, 640/0.05, 640/3/0.07 किता 3 कुल रकबा 0.18 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. भूमि ख.न. 640/2 रकबा 0.01 है0 गै0मु0 रास्ता का अर्जुनलाल भीवाराम पिता मूंगाराम बिदामीदेवी पुत्री मूंगाराम हि0 3/9 गीगराम जगदीश शीशपाल पिता मूंगाराम जैतलीदेवी पत्नी मूंगाराम छोटी नानू पुत्रियां मांगाराम हि. 6/9 जाति माली को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

मुवलिंग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करे।
 तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 15 माह 09 सन.2017. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
 मुख्यालय अधिकारी



रूपया पैसे	मुद्दासलह	बदलाव पैसे
4.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
2.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
-	स्टाम्प अर्जी	-
-	महनताना वकील	-
-	खर्चा गवाहान	-
-	फीस कमिश्नर	-
-	बाबत इजराय हुक्मनामा	-
07.00	मुतफरिक मिजान	0.00

मुख्यालय अधिकारी नवलगढ
 मुख्यालय अधिकारी नवलगढ

